रजिस्टर्ड सं० डी—(डीएन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 29, 1986 (अग्रहायण 8, 1908)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 29, 1986 (AGRAHAYANA 8, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	749
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1325
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1847
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	25809
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	755
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन प्रशासन द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2355
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	167
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ-संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	749
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1325
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1847
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	25809
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	755
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2355
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	167
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc both in English and Hindi .	*

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्तूबर 1986

संकल्प

सं० फा० 4 (1)/86-हिन्दी—संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की, इस मंत्रालय के संकल्प संख्या फा० 4 (1) 85-हिन्दी, दिनांक 4 सितम्बर 1985 यथासंशोधित में अधिसूचित सदस्य सूची में निम्नलिखित संशोधन कर लिया जाए :

(1) श्रीमती शीला दीक्षित, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अब श्री सीताराम केसरी के स्थान पर समिति की उपाध्यक्ष होंगी।

(2) श्री एम० एम० जेकब, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अब श्री सीताराम केसरी के स्थान पर समिति के सदस्य होंगे।

देवराज तिवारी, उप सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्तूबर 1986

आदेश

विषय :— अण्डमान अपतट के ब्लाक II क्षेत्र में 7000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ० 12012/25/86-ओ० एन० जी० डी० IV—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अण्डमान अपतट के ब्लाक II क्षेत्र में 7000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस से वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है।

इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेन्सेट पर 192 रुपये प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जाएगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भर कर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11, की आवश्यकता के अनुसार आयोग 56000 रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के संबंध में, एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ष किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रु०
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रु०

5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 300 रुपये।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11, के उपनियम (3) की आवश्यकता अनुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को 2 माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यक्षन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की सतहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण पर लाइसेंस तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किये गये बाथी मिट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय नौ सेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहिये।

(ड) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

(ढ) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं।

(ण) इस क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ों की प्रतियां रक्षा मंत्रालय/मुख्य हाइड्रोग्राफर को निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

(त) यदि विदेशी जलपोत लगाये जाते हैं तो उनका नौसेना सुरक्षा निरीक्षण उनके लगाये जाने से पूर्व किया जाना होता है। भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति हो सके।

(थ) भावी संचालनात्मक योजना बनाने की सुविधा के लिए सर्वेक्षण आरम्भ करने/समाप्त करने की तिथि बतायी जाए।

अनुसूची "क"

1. (1) क्षेत्र	अण्डमान अपतटीय पत्तन (पूर्वी)	
(2) सीमा	7000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (संशोधित मानचित्र में दिखाये गये हैं)	
(3) परिसीमा पाइन्टों के भूगोलिक विवरण	एम०	92° 45′ 41″ पूर्व 11° 40′ 00″ उत्तर
	एन०	93° 39′ 38″ पूर्व 11° 40′ 00″ उत्तर
	ओ०	93° 39′ 38″ पूर्व 11° 59′ 25″ उत्तर
	पी०	93° 24′ 27″ पूर्व 11° 59′ 25″ उत्तर
	क्यू०	93° 24′ 27″ पूर्व 12° 41′ 40″ उत्तर
	आर०	92° 58′ 20″ पूर्व 12° 41′ 40″ उत्तर
2. भूमि पर तीन महत्वपूर्ण स्थानों से दूरतम पाइन्ट क्यू० से लगभग दूरी	पोर्ट ब्लेयर	127 किलोमीटर
	हैवीलारस रतलैंड	62 किलोमीटर
	रसलैंड द्वीप	148 किलोमीटर।
3. क्षेत्र में उर्ध्ववर्ती जल की लगभग गहराई	50–400 मीटर	
4. खुदाई करने की प्रत्याशित तिथि		
5. संरचना की लगभग दूरी (विदेशी राज्य की परिसीमा से पी० ई० एल० के अन्तर्गत क्षेत्र)	क्षेत्र सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से भारत की तरफ 80 किलोमीटर से अधिक है।	
6. खुदाई अन्वेषणों के दौरान लगाई गई विदेशी फर्मों और विदेशियों के नाम	इस क्षेत्र में खुदाई/अन्वेषी गतिविधियों के दौरान अगर कोई विदेशियों और विदेशी फर्मों से बातचीत की गई है के लिए स्वीकृति गृह मंत्रालय से ले ली जायेगी जैसाकि इस समय किया जा रहा है।	

अनुसूची—ख

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की सं०	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टनों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री——————————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्य निष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

भारत के राष्ट्रपति के नाम और उनके आदेश से

हस्ताक्षर——————————

पी० के० राजगोपालन

डैस्क अधिकारी

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर, 1986

संकल्प

सं० ई० 11015/1/86-हि० अ०—उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग), के संकल्प सं० ई०-11015/6/83-हि० अ० दिनांक 6 नवम्बर 1985 (यथा संशोधित) में निम्नलिखित परिवर्तन/परिवर्धन करने का निश्चय किया गया है :-

1. क्रम सं० 2 को निम्न प्रकार पढ़ें :-
   राज्य मंत्री (औद्योगिक विकास)

2. क्रम सं० 2 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाय :—
   (1) राज्य मंत्री (सरकारी उद्यम)
   (2) राज्य मंत्री (रसायन व पेट्रो-रसायन)

3. संशोधित सूची में क्रम सं० 7 पर निम्नलिखित पढ़ा जाये :-
   डा० रत्नाकर पाण्डे, संसद सदस्य (राज्य सभा) 26, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली।

4. तदनुसार परिवर्तित क्रम सं० 21 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाये :—
   (1) श्री कृष्ण माधव चौधरी, एडवोकेट नया शहर, इटावा (उ० प्र०)
   (2) श्री पी० जी० वासुदेव,
   सचिव,
   हिन्दी विद्यापीठ (केरल),
   अम्बुज विलासम रोड,
   तिरुवनन्तपुरम।

5. सरकारी सदस्य के नीचे (ग) निम्न प्रकार पढ़ा जाये :-
   (ग) सरकारी उद्यम विभाग

6. संशोधित क्रम सं० 39 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाय :-
   अपर सचिव, सरकारी उद्यम ब्यूरो

इस प्रकार सदस्यों की कुल संख्या 42 से बढ़कर अब 47 हो जायेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध और भारत के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

ब्रजेन्द्र सहाय, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1986

आदेश

संख्या 14/3/86-कागज—केन्द्रीय सरकार, (कागज उत्पादन का विनियमन) आदेश 1978 के खंड 9 द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेसर्स नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड, तुली, नागालैंड को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कम्पनी को भारी वित्तीय हानि हुई है, उक्त आदेश के खंड 3 की अपेक्षाओं से 1 अप्रैल, 1986 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च 1987 को समाप्त होने वाली, अवधि के लिए छूट देती है।

जी० सुंदरम, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 1986

सं० 1/7/84-समिति—जनसाधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि के० आर० नारायणन, राज्यमंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी, को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का उपाध्यक्ष मनोनीत

किया गया है । उन्होंने केन्द्रीय मंत्री परिषद में राज्यमंत्री के सामान्य उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त इस कार्यालय में 22 अक्तूबर 1986 पूर्वाह्न से कार्यभार ग्रहण कर लिया है। परिणामस्वरूप, अधिसूचना फा० 1-7-84—समिति दिनांक 20 मई, 1985, फा० सं० 2 के अन्तर्गत श्री शिवराज वी० पाटील के नाम और पदनाम के स्थान पर श्री के० आर० नारायणन, राज्यमंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी का नाम तथा पदनाम आएगा ।

राम कृष्ण आयंगार
भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग व
अतिरिक्त महानिदेशक वैज्ञानिक, तथा
औद्योगिक अनुसंधान परिषद

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्तूबर 1986

सं० डब्ल्यू० 11011/1/80-अनुदान (वाल्यूम-4)—इस मंत्रालय की तारीख 1 जुलाई 1985, 7 मार्च, 1986 और 12 अगस्त, 1986 की अधिसूचना संख्या डब्ल्यू० 11011/1/80 अनुदान वाल्यूम-2) एवं 3 के क्रम में भारत सरकार के वर्तमान समिति के कार्यकाल को 1 अक्तूबर से 31, अक्तूबर, 1986 तक, एक महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है जिसकी संरचना इस प्रकार है :—

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	अध्यक्ष
डा० गोविंद दास रिछारिया संसद सदस्य राज्य सभा	सदस्य
डा० पी० अप्पलाल पेरुमान संसद सदस्य लोक सभा	सदस्य
श्री एस० एम० साहा	सदस्य
डा० वत्सला सामन्त..	सदस्य
श्री जी० बी० माने	सदस्य
श्री मती रेणूका अप्पादुरै	सदस्य
डा० एम० पी० केशव मूर्ति	सदस्य
श्री कर्मचन्द शनमार	सदस्य
श्री स्वप्न साधन बोस	सदस्य
सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	सदस्य
स्वास्थ्य मंत्रालय में अनुदान से संबंधित संयुक्त सचिव	सदस्य सचिव

2. गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते संबंधी खर्च माग संख्या 44 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मुख्य शीर्ष 276—ए—1 सचिवालय ए० 1 (1) स्वास्थ्य विभाग ए० 1 (1) (3) यात्रा खर्च से पूरा किया जाएगा ।

3. 9 मार्च 1985 की अधिसूचना में निहित समिति संबंधी सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे ।

आदेश

आदेश है कि यह अधिसूचना सर्व साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

राम मूर्ति भार्गव, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 7 नवम्बर 1986

संकल्प

सं० 51-32/85-एल० डी० टी० (एल० एच० एस०)—पशुधन टीकों के स्तर और मौजूदा कानून में परिशोधन और समीक्षा करने और यदि आवश्यक होतो ऐसे टीकों के नियमन और गुण नियंत्रण के लिए नए कानून को विकसित करने पर के प्रश्न पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि पशु टीकों (एफ० एम० डी० टीकों को छोड़कर) से संबंधित सभी मामलों और उनके गुण नियंत्रण तथा संगत कानूनों को जांच करने के लिए पशु टीकों पर एक स्थायी सलाहकार समिति का गठन किया जाए । इस समिति की संरचना निम्न प्रकार से होगी :—

(1) पशु पालन आयुक्त, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग नई दिल्ली ।	अध्यक्ष
(2) उप महानिदेशक (पशु विज्ञान) भा० कृ० अनु० परिषद, नई दिल्ली ।	सदस्य
(3) निदेशक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
(4) निदेशक, भारतीय असंक्रामी, (राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड) हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	सदस्य
(5) श्री सी० एन० शिवरामन, वरिष्ठ विज्ञानी अधिकारी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
(6) डा० बी०एस० शिवडेकर, निदेशक, पशु चिकित्सा जैव उत्पादन केन्द्र महोव (मध्य प्रदेश)	सदस्य
(7) डा० ए० एस० तरूला, संयुक्त निदेशक, पशु पालन निदेशालय, चण्डीगढ़ (पंजाब)	सदस्य
(8) डा० कृष्ण आस्रित, संयुक्त निदेशक, पशु चिकित्सा जैव अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	सदस्य
(9) संयुक्त निदेशक, जैव उत्पादन केन्द्र, खानपारा गोहाटी (असम)	सदस्य

(10) संयुक्त आयुक्त (एल० एच० एस०), (एल० एच०), कृषि मंत्रालय, जो कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पशुपालन प्रभाग में पशु टीकों का कार्य देख रहे हैं। — सदस्य-सचिव

3. इस स्थायी समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से होंगे :—

(1) पशु टीकों की मांग, उपलब्धता और सप्लाई की समीक्षा करना और इन टीकों के उत्पादन और वितरण का समन्वय करना;

(2) मौजूदा अधिनियमों में पशु टीकों के संगत उत्पादन और गुण नियंत्रण प्रोटोकोल में संशोधन और समीक्षा करना तथा नए पशु चिकित्सा जैवों के लिए प्रोटोकोल तैयार करना;

(3) पशु चिकित्सा महत्व के टीकों, जुवाणुओं और अन्य जैवों के आयात और निर्यात के लिए नीति की सिफारिश करना।

(4) पशु रोग नियंत्रण के लिए विभिन्न कानूनों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करना;

(5) टीके के उत्पादन में आने वाली समस्याओं का मूल्यांकन करना और सुरक्षात्मक उपाय सुझाना;

(6) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के अन्तर्गत पशु चिकित्सा जीव विज्ञान उत्पादन के विभिन्न केन्द्रों में गुण नियंत्रण का विनियमन करने के लिए क्रियागत रूपात्मकता संबंधी उपाय निकालना; और

(7) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा सौंपा गया कोई अन्य सलाहकार काय कराना।

4. समिति जब भी आवश्यकता होगी अपनी बैठक बुलाएगी। समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों में पशुपालन और पशु चिकित्सा विभागों के सभी सचिवों और निदेशकों कृषि अनुसंधान और शिक्षा एवं विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय को भेज दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

बी० बी० महाजन, अपर सचिव

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्तूबर 1986

संकल्प

सं० जे-25011/112/86-सा० सं०—भूतपूर्व रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के दिनांक 9 अगस्त, 1984 के संकल्प संख्या जे-25011/128/83-जी सी के अधिक्रमण में भारत सरकार ने उर्वरक विभाग के लिए एक वैज्ञानिक अनुसंधान सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

2. समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :—

(1) सचिव, उर्वरक विभाग — अध्यक्ष

(2) डा० एस० वरदाराजन, मुख्य परामर्शदाता योजना आयोग — सदस्य

(3) प्रो० एम० एम० शर्मा, रसायन इंजीनियरिंग विभाग, रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई विश्वविद्यालय — —वही—

(4) सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अथवा उनका प्रतिनिधि — —वही—

(5) डा० एल० के० दोराइस्वामी, निदेशक, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला — सदस्य

(6) डा० श्यामराजन, निदेशक, प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद — —वही—

(7) अध्यक्ष, फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया — —वही—

(8) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, प्रोजेक्टस एण्ड डवेलपमेंट इंडिया लि० — —वही—

(9) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० — —वही—

(10) वित्तीय सलाहकार, उर्वरक विभाग — —वही—

(11) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि — —वही—

(12) सलाहकार (उर्वरक), उर्वरक विभाग — सदस्य सचिव

3. अध्यक्ष किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को समिति की बैठकों में भाग लेने अथवा समिति की सहायता के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

4. समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :—

(1) नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर ऐसी दिशाओं का पता लगाना जिस ओर उद्योगों, औद्योगिक नीति का रुख होना चाहिए तथा उस प्रकार की विकासोन्मुख नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उपायों पर मंत्रालय/विभाग को सलाह देना।

(2) वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान में स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर विभाग को सलाह देना।

(3) विभाग के कारोबार से संबद्ध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने के लिए अल्पावधि एवं दीर्घावधि उद्देश्य एवं योजनाएं विकसित करना।

(4) योजनाबद्ध तरीके से प्रौद्योगिकी को ग्रहण करने, उसे अनुकूल बनाने एवं उसमें सुधार के लिए उपायों के बारे में उद्योग को सलाह देना।

(5) उद्योग को उन प्रौद्योगिकी निवेशों के बारे में सलाह देना जो उत्पादों और सेवाओं की उत्पादकता, किस्म एवं विश्वसनीयता में सुधार लाएंगे लागत कम करेंगे तथा विभाग से संबद्ध क्षेत्रों में सुरक्षा, प्रदूषण एवं खतरा नियंत्रण पद्धतियों में सुधार लाएंगे।

(6) जहां भी संभव हो, संस्थानों अथवा अनुसंधानकर्ताओं को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए विशिष्ट सहायता की सिफारिश करना।

(7) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंध किसी भी अन्य मामले की जिसे मंत्रालय/विभाग द्वारा समिति को प्रेषित किया जाए, जांच करना तथा सलाह देना।

5. यदि आवश्यक हो, तो समिति अध्ययन करवा के अथवा विशिष्ट दल नियुक्त करके रूचि के विशिष्ट क्षेत्रों का अध्ययन करवा सकती है।

6. समिति एक स्थाई निकाय होगी तथा इसकी बैठकें वर्ष में दो बार या अधिक एक समय में एक या दो दिनों के लिए होंगी।

7. समिति को सचिवालय सहायता उर्वरक विभाग द्वारा दी जाएगी।

8. समिति के सदस्यों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तथापि, गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा/दैनिक भत्ते पर होने वाले व्यय को भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के प्रतिनिधियों का यात्रा/दैनिक भत्ते का भुगतान संबद्ध विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र प्रशासनों, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम० आर० नटराजन, संयुक्त सचिव

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक

सं० 26-46/85-जीवन बीमा—राष्ट्रपति एतद्द्वारा ये निदेश देते हैं कि डाक जीवन बीमा और बंदोबस्ती बीमा नियमावली में निम्नलिखित और आगे संशोधन किए जाएं, अर्थात:—

1. डाक जीवन बीमा और बंदोबस्ती बीमा संबंधी नियमावली के नियम 22 के नीचे टिप्पणी-7 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

नियम 22, टिप्पणी-7 :

"पोस्टमास्टर जनरलों को डाक जीवन बीमा के पहले प्रीमियम को जमा करने में हुए विलंब को माफ करने के पूर्ण अधिकार होंगे बशर्ते कि बीमा प्रस्तावक अपने स्वस्थ रहने के बारे में अपने ही खर्च पर दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा करवायें, इसके अतिरिक्त विलंब उनकी ओर से हुआ हो और यह विलंब 180 दिन से अधिक अवधि का हो तथा साथ ही पोस्टमास्टर जनरल प्रत्येक मामले की सत्यता के बारे में व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हो। इसके अतिरिक्त बीमित व्यक्तियों के उत्तरदायित्व लेने के लिए निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए पोस्टमास्टर जनरल द्वारा इस प्रस्ताव का पुनः उत्तरदायित्व लिया जाना चाहिए"।

2. ये संशोधन जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे तथा इन आदेशों को जारी करने की तारीख तक सर्किल अध्यक्षों के पास लंबित ऐसे सभी मामलों को इन आदेशों को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा निपटाया जाएगा।

3. इसे वित्त सलाह की तारीख 24-4-1986 की डायरी संख्या 1528/एफ० ए० पी०/86 के अंतर्गत दी गई सहमति से जारी किया जा रहा है।

पी० जी० विश्वास, निदेशक (डाक जीवन बीमा)

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 27th October 1986

RESOLUTION

No. F. 4(1)/86-Hindi.—Following amendments be carried out in the list of Members of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs notified in this Ministry's Resolution No. F.4(1)/85-Hindi dated 4th September, 1985, as amended :

(1) Smt. Shiela Dikshit, Minister of State for Parliamentary Affairs will now be Vice-Chairman of the Committee *vice* Shri Sita Ram Kesari.

(2) Shri M. M. Jacob, Minister of State for Parliamentary Affairs will now be the Member of the Committee *vice* Shri Sita Ram Kesari.

D. R. TIWARI, Dy. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 29th October 1986

ORDER

SUBJECT : *Grant of Petroleum Exploration Licence for Block II area measuring 7000 sq. kms. in Andaman Offshore.*

No. 12012/25/86-ONG D4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (i) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to Prospect for Petroleum for four years from 1-4-86 for Block-II area measuring 7000 sq. kms. in Andaman offshore, the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 192/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the proceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 56000/- as security as required by rule 11 of the P&NG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplied and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as any be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, botton samples, Current and magnatic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(n) The entire data is processed in India. ONGC shall ensure secrutiny of oceanographic data.

(o) Copies of the data collected by ONGC in this area is made available *free of cost* to Ministry of Defence/ Chief Hydro.

(p) Foreign Vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspections by a team of Indian Navy Specialists officers prior to deployment. Adequate notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(q) The date of commencement/cessation of survey be intimated to facilitate future operational planning.

SCHEDULE 'A'

1. (i) Area	Part of Andaman off shore (Eastern) East of South and mostly Andaman Islands.				
(ii) Extent	7000 sq. kms (area shown on the revised map).				
(iii) Geographical Coordinates of the Boundry points	M	92°	45′	41″	E
		11°	40′	00″	N
	N	93°	39′	38″	E
		11°	40′	00″	N
	O	93°	39′	38″	E
		11°	59′	25″	N
	P	93°	24′	27″	E
		11°	59′	25″	N
	Q	93°	24′	27″	E
		12°	41′	40″	N
	R	92°	58′	20″	E
		12°	41′	40″	N

2. Approximate distance from forthest point Q from three prominent places on land.	Port Blair 127 kms. Henry Lawrence 62 kms. Rutland island 148 kms.
3. Approximate depth of super jasent water in the area...	50—400 M
4. Likely date of spuddings . . .	
5. Approximate distances of the structure (area under PEL from the Bombay border of foreign states).	Area is more than 80 kms. on the Indian side from the relevant international boundry.
6. Name of the foreign firm and foreigners deployed during the explorations activities.	Clearance from foreigners and foreign firms if communicated during the drilling/exploration activities in this area, shall be obtained from the Ministry of Home Affairs as it is beiny done presently.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri——————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By order in the name of the President of India.

P. K. RAJAGOPALAN,
Desk Officer.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 9th October 1986

RESOLUTION

No. E-11015/1/86-HS.—It has been decided to make following amendments/additions in the Ministry of Industry's (Department of Industrial Development) Resolution No. E-11015/6/83-HS dated the 6th November, 1985 :—

1. Sl. No. 2 may be read as under :—
   State Minister (Industrial Development)
2. Following may be added after Sl. No. 2 :—
   (1) State Minister (Public Enterprises)
   (2) State Minister (Chemicals and Petro-Chemicals)
3. In the revised list Sl. No. 7 may be read as under :—
   Dr. Ratnakar Pandey,
   M.P. (Rajya Sabha)
   26, Dr. Rajendra Prasad Road,
   New Delhi.
4. Accordingly following may be added after revised Sl. No. 21 :—
   (1) Shri Krishna Madhav Chowdhry,
   Advocate,
   Naya Shahar,
   Itava (U.P.)
   (2) Shri P. O. Vasudev,
   Secretary,
   Hindi Vidyapitha (Keral),
   Ambujavilasom Road,
   Trivandrum-1.

5. Under the Official Members (C) may be read as under :—

(C) *Deptt. of Public Enterprises*

6. Following may be added after amended Sl. No. 39
Additional Secretary, Bureau of Public Enterprises

Thus, the total number of members has been increased from 42 to 47.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State-Governments, Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Commerce, Works & Miscellaneous and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. SAHAY, Jt. Secy.

New Delhi, the 31st October 1986

ORDER

No. 14(3)/86-Paper.—In exercise of the powers conferred by clause 9 of the Paper (Regulation of Production) Order, 1978, the Central Government hereby exempts for the period commencing on the 1st April, 1986 and ending on the 31st March, 1987, M/s. Nagaland Pulp and Paper Company Limited, Tuli, Nagaland, from the requirement of clause 3 of the said Order having regard to the fact that the said company suffered heavy financial losses.

G. SUNDARAM, Under Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 31st October 1986

No. 1/7/84-CTE.—It is notified for general information that Shri K. R. Narayanan, Minister of State for Science & Technology has been nominated as Vice President, Council of Scientific and Industrial Research, and has assumed charge of his office w.e.f. the forenoon of 22nd October 1986 in addition to his normal responsibilities as Minister of State in the Union Council of Ministers. Consequently, the name and designation of Shri Shivrai V. Patil appearing under serial number 2 of Notification No. 1/7/84-CTE dated 20th May, 1985 be and is hereby replaced with that of Shri K. R. Narayanan, Minister of State for Science & Technology.

RAM K. IYENGAR, Addl. Secy.
Department of Scientific & Industrial Research and
Addl. Director General, Council
of Scientific & Industrial Research.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 7th October 1986

No. W.11011/1/80-Grants (Vol. IV).—In continuation of this Ministry's Notifications No. W.11011/1/80-Grants (Vol. II) dated 1-7-1985, 7-3-1986 and 12-8-86 the Government of India have decided to extend the term of the present Grants Committee, whose composition is given below, for a further period from 1st October, 1986 to 31st October, 1986 :—

Chairman

Minister for Health & Family Welfare

Members

Dr. Govind Das Richhariya, M.P., (Rajya Sabha)
Dr. P. Vallal Peruman, M.P., (Lok Sabha)
Shri S. M. Shah
Dr. Vatsala Samant

Shri G. B. Mane
Mrs. Renuka Annadurai
Dr. M. P. Keshava Murthy
Shri Karam Chand Shenmar

Shri Swapan Sadhan Bose
Secretary, Ministry of Health & Family Welfare
Director General of Health Services

Member-Secretary

Joint Secretary concerned with Grants in the Ministry of Health.

2. The expenditure on TA/DA of non-official members will be met from Demand No. 44 Ministry of Health & Family Welfare Major Head 276-A.1.Sectt.A.1(1) Department of Health A.1.(1)(3) Travel Expenses.

3. The other provisions relation to the Committee as contained in the Notification dated 9-3-1984 will remain unchanged.

ORDER

ORDERED that the Notification may be published in the Gazette of India for general information.

R. M. BHARGAVA, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi-1, the 7th November 1986

RESOLUTION

No. 51-32/85-LDT(LHS).—The question of reviewing and revising the standards of livestock vaccines and also the existing Legislations and if necessary develop a new Legislation for the regulation and quality control of such vaccines has been under consideration of the Government of India.

2. It has now been decided to constitute a Standing Advisory Committee on Animal Vaccines to go into all matters concerning animal vaccines (except F.M.D. vaccine), their quality control and relevant legislations. The composition of this Committee would be as follows :—

Chairman

(1) Animal Husbandry Commissioner,
Ministry of Agriculture,
Deptt. of Agriculture & Cooperation,
New Delhi.

Members

(2) Deputy Director General,
(Animal Sciences),
ICAR, New Delhi.

(3) Director,
Indian Veterinary Research Institute,
Izatnagar (U.P.).

(4) Director,
Indian Immunologicals,
(National Dairy Development Board),
Hyderabad (A.P.).

(5) Shri C. A. Sivaraman,
Senior Scientific Officer,
Deptt. of Biotechnology,
Ministry of Science & Technology,
New Delhi.

(6) Dr. B. S. Shivdekar,
Director,
Veterinary Biological Production Centre,
Mhow ((M.P.).

(7) Dr. A. S. Narula,
Joint Director,
Directorate of Animal Husbandry,
Chandigarh (Punjab).

(8) Dr. Krishna Ashrit,
Joint Director,
Veterinary Biological Research Institute,
Hyderabad (A.P.).

(9) Joint Director,
Biological Production Centre,
Khanapara,
Guwahati (Assam).

Member-Secretary

(10) Joint Commissioner (LHS)/(LH), Ministry of Agriculture dealing with Animal Vaccines in the Animal Husbandry Division of the Deptt. of Agriculture & Cooperation, New Delhi.

3. The terms of reference of this Standing Committee would be as follows :—

(i) To review the demand, availability and supply of animal vaccines and coordinate production and distribution of these vaccines;

(ii) To review and revise production and quality control protocols relevant to animal vaccines in the existing statutes and lay down protocols for new veterinary biologicals;

(iii) To recommend policy for import and export of vaccines, germs and other biologicals of veterinary importance.

(iv) To review and recommend revision of various legislations for animal disease conrtol;

(v) To assess the problems confronting vaccine production and suggest corrective measures;

(vi) To devise functional modalities for regulating quality control at various veterinary biological production centres under public and private sectors; and

(vii) To undertake any other advisory work assigned by the Government of India, Ministry of Agriculture.

4. The Committee will meet as often as is necessary. The Headquarter of the Committee will be at New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Secretaries and Directors of Animal Husbandry and Veterinary Departments in the State Governments, Administrations of the Union Territories, Department of Agricultural Research and Education, Department of Biotechnology, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. B. MAHAJAN, Addl. Secy.

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 8th October 1986

RESOLUTION

No. J.25011/112/86-G.C.—In supersession of Resolution No. J.25011/128/83-GC dated the 9th August, 1984, of erstwhile Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India has decided to constitute a Scientific Research Advisory Committee for the Department of Fertilizers.

2. Composition of the Committee will be as under :—

Chairman

1. Secretary, Department of Fertilizers.

Members

2. Dr. S. Varadarajan, Chief Consultant, Planning Commission.

3. Prof. M. M. Sharma, Department of Chemical Engineering, Institute of Chemical Technology, University of Bombay.

4. Secretary, Department of Science & Technology or his representative.

5. Dr. L. K. Doraiswamy, Director, National Chemical Laboratory.

6. Dr. Thyagarajan, Director, Regional Research Laboratory, Hyderabad.

7. Chairman, Fertilizer Association of India.

8. Chairman & Managing Director, Project & Development India Ltd.

9. Chairman & Managing Director, Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd.

10. Financial Adviser, Department of Fertilizers.

11. A senior representative of Indian Council of Agricultural Research.

Member-Secretary

12. Adviser (Fertilizers), Department of Fertilizers.

3. The Chairman may invite any other person or persons to attend meetings of the Committee or to assists the Committee.

4. Terms of reference of the Committee will be as under :—

(i) To identify, from time to time, directions in which industries/industrial policy should go keeping in view the latest technological advances and advise the Ministry/Department on measures for implementation of such growth oriented policies;

(ii) To advise the Department on policies and programmes to develop indigenous capabilities in scientific and technological research;

(iii) To evolve short term and long term objectives and plans for upgradation of technology in areas related to the business of Department;

(iv) To advise industry on measures for technology absorption, adaptation and improvement in a planned manner;

(v) To advise industry on technological inputs which would improve productivity, quality and reliability of products or services and reduce costs, safety, pollution and Hazard Control systems in areas relevant to Department;

(vi) To recommend, where possible, specific support for scientific research and technology development to institutions or to investigators; and

(vii) To examine any other matter related to Science and Technology which may be referred to the Committee by the Ministry/Department and provide advice.

5. The Committee may, if necessary, get studied any specific areas of interest by requisitioning studies or by appointing specialised groups.

6. The Committee will be a permanent body and will meet twice or more a year for one or two days at a time.

7. Secretarial Assistance to the Committee will be provided by the Department of Fertilizers.

8. No remuneration will be paid to the members of the Committee. However, expenditure on TA/DA of the non-official members will be borne by Government of India. TA/DA of Government officials/representatives of Central public sector undertakings will be paid by the concerned Department/public sector undertaking.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. R. NATARAJAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 23rd July 1986

No. 26-46/85-LI.—The President hereby directs that the following further amendments be made in the Rules relating to the Postal Life Insurance and Endownment Assurance namely :—

1. In Note-7 below Rule-22, of the Rules relating to the Postal Life Insurance and Endownment Assurance, the following shall be substituted :—

Rule 22, *Note*-7 :

"The Postmasters-General will have full powers to condone the delay in depositing 1st PLI Premium subject to another medical examination on continued good health of the proponents at their own cost, provided the delay is on their part and for more than 180 days and that the PMG is personally satisfied about genuineness of each and every case. Further the proposal should be underwritten afresh by the Postmaster-General in the light of the prescribed guidelines for underwriting of assured lives".

2. The amendment will take effect from the date of issue and all such cases pending with the Heads of Circles on the date of issue of these orders will be decided by them in the light of these orders.

3. This issues with the concurrence of Finance Advice vide Dy. No. 1528/FAP/86 dated 24-4-1986.

P. B. BISWAS, Director (PLI)